न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 45/22 दायरा दिनांक 14.11.2022

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

राजेश पुत्र मुरारीलाल जाति अहेडी निवासी अजरोडा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.) — अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायव तहसीलदार केलवाडा जिला बारां (राजस्थान) — रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :— 28-08-2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत नायव तहसीलदार केलवाडा के प्रकरण संख्या 1/2022 निर्णय दिनांक 18.10.2022 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को ग्राम अजरोडा की आराजी खसरा नम्बर 411 रकबा 1750 वर्गफीट भूमि पर सम्वत 2079 किस्म बंजड सिवायचक पर अतिक्रमी मानकर 2/— रूपये शास्ति, नीलामी एवं विवादित आराजी से बेदखल करते हुये निर्माण कार्य को ध्वस्त किये जाने के आदेश दिए गए हैं। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के स्वीकृत सिद्वान्तों के विपरीत है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश पारित किया है। ग्राम अजरोडा में अपीलान्ट के विरूद्ध की गई कार्यवाही गैर कानूनी है उक्त खसरा नम्बर 411 में अपीलान्ट का गत् 15—20 साल से कब्जा चला आ रहा है तथा भूमिहीन है तथा पंचायत नाटई ने दिनांक 01.05.2017 को उक्त भूखण्ड अपीलान्ट की पत्नि उषाबाई पत्नि राजेश के नाम आवंटन किया हुआ है अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक प्रभाव से द्वेषतापूर्वक झूठी शिकायत कर उक्त कार्यवाही प्रस्तुत करवाई गई है।

हमने अपीलान्ट के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner